पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

File No-III-M-68-2019-Part-III

Letter No. / पत्रांक: 14299

Date / दिनांक: 28/10/2021

Commissioner Cell

Patna Municipal Corporation
Date:- 28-10-2021
2021214299
http://pmc.bihar.gov.in

प्रेषित,

कार्यपालक अभियंता,
पाटलिपुत्र / बाँकीपुर / अजिमाबाद / पटना सिटी प्रमंडल
पटना नगर निगम।

विषय– **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी छठ घाटों पर आज दिनांक 28.10.2021 से कार्य प्रारंभ कराने के संबंध में।**

प्रसंग– इस कार्यालय का पत्रांक 14260, दिनांक 27.10.2021

उपर्युक्त विषयक विगत् वर्षों की भांति इस वर्ष भी कार्तिक छठ महापर्व हेतु गंगा घाटों पर आवश्यक तैयारी पटना नगर निगम स्तर से किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष छठ पर्व दिनांक 08.11.2021 को नहाए–खाए से आरंभ होकर दिनांक 11.11.2021 तक मनाया जाना है। प्रासंगिक पत्र के द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु निविदा निस्तारण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। चूंकि छठ पर्व में अब अधिक समय शेष नहीं बचा है।

अतः उक्त के क्रम में पुनः निर्देश दिया जाता है कि आपके प्रमंडल अंतर्गत जिस घाट का निविदा निस्तारण कर संवेदक को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है, उन्हें निश्चित रूप से आज दिनांक 28.10.2021 से कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया जाए।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की संकल्प संख्या 3557, दिनांक 20.11.2014 एवं संकल्प संख्या 2574, दिनांक 09.05.2018 के द्वारा 7.50 लाख रूपये (सात लाख पचास हजार रूपये मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। उक्त के आलोक में आप आदेशित हैं कि जिस घाट से संबंधित निविदा प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो सकी है, उन घाटों पर आज दिनांक 28.10.2021 से उक्त संकल्प के आलोक में विभागीय रूप से अथवा Empanel Contractor के द्वारा कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ससमय कार्य पूर्ण हो सके।

अनु०– यथोक्त।

28/10/21

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम।

प्रतिलिपिः– सभी अपर नगर आयुक्त / सभी उप नगर आयुक्त / मुख्य नगर अभियंता / सभी कार्यपालक पदाधिकारी / सभी कार्यपालक अभियंता / नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/21

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः– नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों को ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के नगर निकायों से ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) तक की योजनाओं को विभागीय रूप से कार्यान्वित कराने के लिए लगातार अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे हैं। नगर निकायों का कथन है कि कभी–कभी पर्व त्योहारों अथवा आकस्मिक आपदा के समय तत्काल कार्य करने की आवश्यकता होती है परन्तु सूचना एवं जन संपर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराने में काफी समय लग जाता है। साथ ही छोटे कार्यों के लिए संवेदक भी रूचि नहीं लेते हैं। विभागीय समीक्षा बैठकों में भी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा इस बिन्दु पर निर्णय हेतु अनुरोध किया गया है।

2. पंचायती राज विभाग के पत्रांक 3503 दिनांक 13.06.2013 की कंडिका (iii) द्वारा प्रावधान किया गया है कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर से कार्यान्वित की जाने वाली वैसी योजनाएँ, जिनकी अनुमानित लागत ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) की हों, का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने के संबंध में निर्णय सरकारी कर्मियों की उपलब्धता एवं उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों में सन्निहित राशि के मद्देनजर जिला परिषद/पंचायत समिति द्वारा स्वयं लिया जाएगा।

3. अतः वर्णित स्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18.11.2014 के मद संख्या 06 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग की राज्य योजनाओं तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 13वीं वित्त आयोग की राशि से ली जाने वाली वैसी सभी योजनाओं के लिए; जिनकी लागत ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु0 मात्र) तक हों; निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. संबंधित नगर निकाय, कर्मचारियों की उपलब्धता एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखते हुए यह निर्णय लेंगे कि उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से कराया जाय अथवा विभागीय रूप से।

5. विभागीय तौर पर योजनाओं को संपादित कराने का कार्य तकनीकी कर्मचारी यथा कनीय अभियंता के माध्यम से ही कराया जाएगा। एक समय में अधिक से अधिक दो या तीन योजनाएँ ही एक कनीय अभियंता को कार्यान्वयन हेतु दी जाएँगी और एक स्कीम के लिए दिए गए एक अग्रिम के सामंजन के बाद ही दूसरा अग्रिम दिया जाएगा।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—
(जय प्रकाश मंडल)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः 2ब०/विविध 21—14/2014— **/न० वि० एवं आ० वि०, दिनांक—**

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जायें।

ह०/
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः 2ब०/विविध 21—14/2014— 3557 **/न० वि० एवं आ० वि०, दिनांक—** 20/11/14

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, पटना/कार्यपालक अभियंता, सभी जिला शहरी विकास अभिकरण/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.11.14
सरकार के विशेष सचिव।

221

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः— **नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों को ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु० मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने हेतु निर्गत संकल्प संख्या— 3557, दिनांक— 20.11.2014 में आंशिक संशोधन के संबंध में।**

राज्य के नगर निकायों से ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु०) मात्र तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने के लिए मंत्रिपरिषद् की दिनांक— 18.11.2014 को आयोजित बैठक के मद संख्या— 06 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या— 3557, दिनांक— 20.11.2014 निर्गत है।

2. विभिन्न नगर निकायों द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त संकल्प में राज्य योजनाओं तथा 13वीं वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की राशि से ली जाने वाली योजनाओं में ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु० मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने का प्रावधान लागू किया गया है जबकि 13वीं वित्त आयोग अब 14वीं वित्त आयोग में तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अब पंचम् राज्य वित्त आयोग में परिवर्तित हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त संकल्प को संशोधित करते हुए 14वीं वित्त आयोग एवं पंचम् राज्य वित्त आयोग अंकित किया जाए।

3. 14वीं वित्त आयोग एवं पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि 2019—20 में समाप्त होगी तथा पुनः 15वीं वित्त आयोग एवं छठा राज्य वित्त आयोग प्रभावी होगा। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। इसलिए वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संख्या को इंगित करना उपयुक्त नहीं होगा।

4. इस बीच सरकार के सात निश्चय में से एक निश्चय "मुख्यमंत्री शहरी नाली—गली पक्कीकरण निश्चय योजना" लागू हो गई है। इस योजना के तहत नगर निकायों के वार्ड स्तर से कच्ची गलियों एवं नालियों का पक्कीकरण किया जाना है। इस योजना में छोटी—छोटी कच्ची गलियों एवं नालियों का कार्य भी कराया जाना है। निविदा के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में विलम्ब को देखते हुए यह विचार किया गया है कि इस योजना में भी ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु०) तक का कार्य कराने हेतु नगर निकायों को यह विकल्प दिया जाय कि उक्त सीमा तक की योजनाएँ निविदा अथवा विभागीय रूप से करा सकें।

5. अतः वर्णित स्थिति में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक— 26.04.2018 के मद संख्या 12 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या— 3557, दिनांक— 20.11.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य योजनाओं, राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग एवं मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की राशि से ली जाने वाली वैसी सभी

योजनाओं के लिए, जिनकी लागत ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रु०) मात्र तक हों, निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

(i) संबंधित नगर निकाय, स्थायी कर्मचारियों की उपलब्धता एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखते हुए यह निर्णय लेंगे कि उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से कराया जाय अथवा विभागीय रूप से।

(ii) विभागीय तौर पर योजनाओं को संपादित कराने का कार्य स्थायी तकनीकी कर्मचारी यथा कनीय अभियंता के माध्यम से ही कराया जाएगा।

(iii) एक समय में अधिक से अधिक दो या तीन योजनाएँ ही एक कनीय अभियंता को कार्यान्वयन हेतु दी जाएँगी और एक स्कीम के लिए दिए गए एक अग्रिम के सामंजन के बाद ही दूसरा अग्रिम दिया जाएगा।

(iv) संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता से विभागीय कार्य नहीं कराया जाएगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/सभी जिला शहरी विकास अभिकरण/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
4/5/2018
(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 2ब०/विविध 21–14/2014– 2574 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक–09.5.18

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जायें।

4/5/2018
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 2ब०/विविध 21–14/2014– 2574 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक– 09.5.18

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, पटना/कार्यपालक अभियंता, सभी जिला शहरी विकास अभिकरण/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/5/2018
सरकार के प्रधान सचिव।